न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 190/2012

सायलान :-	बनाम	गैरसायलान :-
1. रामदेव पुत्र पोकरराम, जाति-माली निवासी-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) 2. रामेश्वरलाल पुत्र कानाराम जाति-माली निवासी-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. मुन्नीदेवी पत्नी तेजाराम जाति-घांची, निवासी-निम्बोल तहसील-जैतारण, जिला-पाली 2. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:-28.09.2012

उपस्थित:- 1. श्री रुस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 13/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-निम्बोल, तहसील-जैतारण में खसरा नंबर 977 रकबा 16 बीघा 07 बीस्वा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि सायलान की खरीदसुदा व कब्जे काश्त की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि सायलान ने दिनांक 23/03/2012 को दिनेश कुमार पुत्र मालचन्द्र से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज से खरीद की। बेचान दस्तावेज की फोटो व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। दिनेश पुत्र मालचन्द ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 977 रकबा 16 बीघा 07 बीस्वा तत्कालीन खातेदार केवल पुत्र माला जाति राईका निवासी-निम्बोल से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज से दिनांक 04/06/2007 को खरीद की थी। रजिस्टर्ड दस्तावेज की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। सायलान ने रजिस्टर्ड बेचान नामा के आधार पर मूलचंद से खरीदकर कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। तब से लेकर आज तक सायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। केवल पुत्र माला ने अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि का मूलचंद को बेचान कर दिया था। मूलचंद से सायलान ने खरीद कर अपने नाम बेचान दस्तावेज निष्पादित करवाकर बेचान दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि व प्रार्थना पत्र अपने नाम म्यूटेशन भरवाने हेतु हल्का पटवारी-निम्बोल को दे दिये थे। लेकिन हल्का-पटवारी ने जानबुझकर समय पर म्यूटेशन सायलान के नाम नहीं भरा जिसका नाजायज फायदा उठाकर केवल पुत्र माला ने मूलचंद को बेचान की हुई कृषि भूमि को मुन्नीदेवी पत्नी तेजाराम गैरसायलान के पक्ष मे पुनः बेचान कर उनके नाम का म्यूटेशन भराकर राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार नाम दर्ज करवा दिया, जो एक रोंग एन्ट्री हैं, जिसे सायलान दुरुस्त करवाकर अपना नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। गैरसायलान संख्या एक के पक्ष में केवल पुत्र माला द्वारा किये गये बेचान की जानकारी द्वारा हल्का पटवारी निम्बोल से अपने नाम म्यूटेशन भरने के लिये गये दस्तावेजो के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर व हल्का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पटवारी निम्बोल द्वारा म्यूटेशन प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 20/03/2009 को भरने की जानकारी प्राप्त होने पर सायलान द्वारा दिनांक 06/04/2012 को जमाबंदी की नकल लेने पर गैरसायलान संख्या एक के पक्ष में फर्जी बेचान होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर सायलान की और से पुलिस थाना जैतारण में फर्जी बेचान करने के आधार पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया गया है जो जैर अनुसंधान हैं। सायलान द्वारा दर्ज कराये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं। गैरसायलान संख्या एक के पक्ष में दिनांक 21/03/2009 को किया गया फर्जी बेचाननामा सायलान के हक व अधिकारों में विपरीत हैं तथा सायलान के पक्ष में बेचान दस्तावेजात होने के उपरान्त भी दिनांक 21/03/2009 को गैरसायलान संख्या 01 के पक्ष में किया गया। बेचाननामा शून्य व फर्जी दस्तावेज हैं। जिसके आधार पर गैरसायलान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं। सायलान अपने नाम म्यूटेशन भरवाने राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। सायलान का नाम उनके पक्ष में किये हुये रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक हैं। गैरसायलान संख्या एक व केवल पुत्र माला के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज होने से गैरसायलान ने उक्त वर्णित जमीन का बेचान किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में करने व खसरा संख्या 977 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा की जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी हैं। गैरसायलान संख्या 01 कानून के विपरीत जाकर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर बेचान करने व कब्जा करने पर आमादा है, जिसे रोका जाना कानूनन अतिआवश्यक है, अन्यथा विभिन्न प्रकार की मुकदमें बाजी होगी व लडाई झगडा होगा। गैरसायलान संख्या 01 उक्त वर्णित का बेचान, रहन, वसीयत, बक्शीश कर देते हैं, तो सायलान अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगें तथा आर्थिक व साम्पैतिक नुक्सान कारित होगा, जिसकी पूर्ति रुपयों में नही की जा सकती हैं। सायलान के पक्ष में बेचान दस्तावेजात निष्पादित होने मौके पर कब्जा काश्त होने से बहुत ही मजबूत व प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायलान के पक्ष में साबित होने से सायलान गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सायलान के पास गैरसायलान को बेचान, हस्तान्तरण करने से रोकने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प उपलब्ध नही होने से श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर व मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित हैं। यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायलान को उनके हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में बेदखल कर किसी प्रकार से हस्तक्षेप दखलदांजी करते है। तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा में पेश हुई। वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का अंतिम समय दिया गया। बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। गै0सा0 के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28/09/2012 को जारी की गई हैं। भूमि की वर्तमान मौके की तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया गया था।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–निम्बोल, तहसील–जैतारण में खसरा नंबर 977 रकबा 16 बीघा 07 बीस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि की वर्तमान मौके की तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया गया था। जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द होने से न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 28/09/2012 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 13/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–केकिन्दड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner